न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या 12/32/2023 रजि0 नं0 2023/296 प्रवेश तिथि 16.06.2023

अपीलार्थीः–

श्री मातादीन पुत्र काशीराम जांगिड
निवासी गुरूनानक कोलोनी खैरथल जिला
अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी किशनगढबास।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

--:: निर्णय ::-- 26.07.2023

1–अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास को आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2–अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास से जरिये नोटिस कंमाक 282 दिनाक 26.06.2023 से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 06.07.2023 को उपस्थित आवें।

4–अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के द्वारा जर्ये पत्राक 11371 दिनाक 24.07.2023 के द्वारा जवाब पेश किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर अपीलार्थी को भी सूचित किया गया है। जिसके फलस्वरूप अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

5–राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर अपीलार्थी को भी सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम)
अलवर, (राज0)